

•



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी

मण्डल : बस्ती, जनपद : बस्ती, तहसील : भानपुर

वाद संख्या :- 00238/2019

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T201917140200238

एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा०लि० बनाम सरकार

अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

ग्राम टिनिचशुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती।

निर्णय

प्रस्तुत वाद एन०सी०एम०एल० बस्ती प्रा०लि० द्वारा सुनील चौरसिया प्रोजेक्ट मैनेजर निवासी/पता पंजीकृत कार्यालय इपको टावर-1 विंग बी० पांचवी मंजिल प्लाट संख्या-3 सेक्टर नम्बर-29 गुड़गांव हरियाणा द्वारा अपनी भूमिधरी आराजी खाता संख्या-127 रकबा 3.861 हे० के गाटा संख्या-7/0.125 हे०, 15/0.083 हे०, 16/0.083 हे०, 18/0.082 हे०, 19/0.082 हे०, 64/0.149 हे०, 65/0.306 हे०, 55/0.094 हे०, 80/0.514 हे०, 54/0.350 हे०, 68/0.585 हे०, 67/0.619 हे०, 37/0.240 हे०, 38/0.233 हे०, 39/0.233 हे०, 17/0.083 हे० स्थित ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती की अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किये जाने का अनुरोध करते हुए उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-80 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण की जांच तहसीलदार भानपुर से करायी गयी। पन्नावली में संलग्न तहसीलदार भानपुर की आख्या दिनांक 21.02.2019 संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है तथा मेरे द्वारा पन्नावली का अवलोकन एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या-127 रकबा 3.861 हे० के गाटा संख्या-7/0.125 हे०, 15/0.083 हे०, 16/0.083 हे०, 18/0.082 हे०, 19/0.082 हे०, 64/0.149 हे०, 65/0.306 हे०, 55/0.094 हे०, 80/0.514 हे०, 54/0.350 हे०, 68/0.585 हे०, 67/0.619 हे०, 37/0.240 हे०, 38/0.233 हे०, 39/0.233 हे०, 17/0.083 हे० भूमि पर वादी द्वारा भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम(F.C.I) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण कराया जा रहा है तथा विवादित आराजी के चारों तरफ स्टील के पिलर पर बारबिड वायरों से चाहरदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया है, तथा कार्यालय मुख्य परिचालन प्रबन्धक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-T/555/216/NCML/TCH दिनांक 28.06.2017 द्वारा इस आशय का फ्रेट टर्मिनल (Freight Terminal) बनाने हेतु अनुमति पत्र दिया गया है, जिससे आधुनिक अनाज भण्डार में मालवाहक ट्रेनों का आवागमन सुचारु रूप से हो सके। वादी द्वारा विवादित आराजियात का अकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) रूप में प्रयोग में किया जा रहा है। उक्त गाटों में कुक्कुट अथवा मत्स्य पालन बागवानी आदि का कार्य नहीं किया जा रहा है। वादी द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में फोटो संलग्न किया गया है।

वादी द्वारा आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन घोषित कराने के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेजरी चालान संख्या-CG-76356 धनराशि रु० 12,35,520/- (बारह लाख पैंतीस हजार पांच सौ बीस रुपया मात्र) नियमानुसार जमा कोष में जमा किया गया है, जो संलग्न पन्नावली है। पन्नावली पर उपलब्ध आख्या निर्धारित प्राकृष पर संलग्न है। तहसीलदार की आख्यानुसार विवादित आराजी खाता संख्या-127 रकबा 3.861 हे० के गाटा संख्या-7/0.125 हे०, 15/0.083 हे०, 16/0.083 हे०, 18/0.082 हे०, 19/0.082 हे०, 64/0.149 हे०, 65/0.306 हे०, 55/0.094 हे०, 80/0.514 हे०, 54/0.350 हे०, 68/0.585 हे०, 67/0.619 हे०, 37/0.240 हे०, 38/0.233 हे०, 39/0.233 हे०, 17/0.083 हे० पर वादी द्वारा बतौर आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु उपयोग किया जा रहा है,

by

तथा शासकीय कार्य हेतु भारत सरकार के उपक्रम भारतीय खाद्य निगम(F.C.I.) का साइलोज (Silos) (आधुनिक अनाज भण्डार) का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे वंर्तमान में हो रहे उपयोग के अनुसार राजस्व अभिलेख में आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः ग्राम टिनिच शुक्ल तप्पा शिवपुर परगना बस्तीपूरब तहसील भानपुर जिला बस्ती के खाता संख्या-127 रक्बा 3.861हे0 के गाटा संख्या-7/0.125हे0, 15/0.083हे0, 16/0.083हे0, 18/0.082हे0, 19/0.082हे0, 64/0.149हे0, 65/0.306हे0, 55/0.094हे0, 80/0.514हे0, 54/0.350हे0, 68/0.585हे0, 67/0.619हे0, 37/0.240हे0, 38/0.233हे0, 39/0.233हे0, 17/0.083हे0 भूमि को वादी एन0सी0एम0एल0 बस्ती प्रा0लि0 द्वारा सुनील चौरसिया पता/निवासी पंजीकृत कार्यालय इफको टावर-1 विंग बी0 पांचवी मंजिल प्लाट संख्या-3 सेक्टर नम्बर-29 गुडगांव हरियाणा के नाम आकृषिक (औद्योगिक/व्यवसायिक) प्रयोजन हेतु भूमि घोषित करते हुए तगान से मुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक भानपुर को प्रेषित की जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अनुपालन आदेश पत्रावली दाखिल दफतर हो।

दिनांक 07 अग्रेल, 2019

(राजेश सिंह)

उप जिलाधिकारी,
भानपुर।



सत्य प्रतिलिपि

माल अहलमद
न्यायालय उप जिलाधिकारी
तहसील-भानपुर
05-4-19

कार्यालय का दिनांक 05-4-19
नियारो का दिनांक 05-4-19
कारो करते का दिनांक 05-4-19

प्रतिलिपि कार्यालय - दफाप्रत /
प्रधान कार्यालय -
05-4-19